भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2148

दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबी-एमजेएवाई के तहत वृद्धजन देखभाल

†2148. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में तमिलनाडु सहित राज्यवार आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और विशेष रूप से वृद्धजन देखभाल के लिए केन्द्रित उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में वृद्धजन देखभाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा विशेषज्ञ क्लिनिक, वृद्धजन वार्ड और वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की स्थापना के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहल की प्रगति और संचालन संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थापित मंदिरों की संख्या, प्रदान की गई सेवाएं और देशभर में वृद्धजन आबादी तक उनकी पहुँच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) आयुष्मान भारत और आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं संबंधी जागरूकता, पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार की आयुष्मान भारत के ढांचे के तहत वृद्धजन देखभाल को मजबूत करने के लिए भविष्य की कोई योजना/नीति निर्देश हैं ताकि देश में वृद्धजनों की बढ़ती संख्या के स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाधान किया जा सके और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) सरकार की एक प्रमुख योजना है जो भारत की आर्थिक रूप से कमजोर आबादी के निचले 40% हिस्से में आने वाले 12 करोड़ परिवारों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।

मार्च 2024 में, पात्रता मानदंडों का विस्तार करते हुए इसमें मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायकों (एडब्ल्यूएच) के 37 लाख परिवारों को शामिल किया गया। इसके अलावा, आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से इस योजना का विस्तार करते हुए 4.5 करोड़ परिवारों से संबंधित 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को देखे बिना, शामिल किया गया।

दिनांक 31.10.2025 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के तहत 42.31 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा, आशाकर्मी/ एडब्ल्यूडब्ल्यू / एडब्ल्यूएच के लिए 41.34 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना श्रेणी के तहत 89.51 लाख कार्ड जारी किए गए हैं तथा इस योजना के तहत 10.76 करोड़ अस्पताल में भर्ती होने की अनुमति दी गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है: https://dashboard.nha.gov.in/public/card

नवीनतम स्वास्थ्य लाभ पैकेज के अनुसार, एबी-पीएमजेएवाई योजना के तहत 27 चिकित्सा विशिष्टताओं में 1961 प्रक्रियाओं से संबंधित कैशलेस स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं, जिनमें हीमोडायलिसिस/पेरिटोनियल डायलिसिस, तीव्र इस्केमिक स्ट्रोक, तीव्र उच्च रक्तचाप, कुल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी (पीटीसीए), कैंसर आदि जैसी उपचार सेवाएँ शामिल हैं। ये सेवाएँ वरिष्ठ नागरिकों सहित पात्र लाभार्थियों को प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्वास्थ्य लाभ पैकेजों को अनुकूलित करने की छूट दी गई है। एबी-पीएमजेएवाई के तहत सभी पात्र लाभार्थी 32,403 से अधिक पैनलबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से उपचार प्राप्त कर सकते हैं।

एबी-पीएमजेएवाई के पास लाभार्थियों को उनके अधिकारों और हकदारियों के बारे में जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक मीडिया और जनसंपर्क कार्यनीति है। इसमें समाचार पत्रों, सामुदायिक रेडियो, नुक्कड़ नाटकों, डिजिटल डिस्प्ले, रेडियो अभियानों, जनसंचार संदेशों और लाभार्थियों के अनुभवों के प्रसारण जैसे पारंपरिक मीडिया प्लेटफॉर्मों पर विज्ञापन शामिल हैं। इसके अलावा, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों ने अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, जैसे आशाकर्मी और एडब्ल्यूडब्ल्यू का एक व्यापक नेटवर्क भी स्थापित किया है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर जन जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त, आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लाभार्थी किसी भी सहायता/पूछताछ के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-110-770 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं या 24x7 कॉल सेंटर (14555) पर कॉल कर सकते हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राज्यों को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एबी-पीएमजेएवाई के विस्तार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलाप संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) के माध्यम से उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ बनाकर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये एएएम प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं, वृद्धावस्था परिचर्या सेवाओं, संक्रामक रोगों, गैर-संक्रामक रोगों, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए निवारक, प्रोत्साहक, उपशामक, पुनर्वास और उपचारात्मक परिचर्या प्रदान करते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार कार्यरत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

एएएम में वृद्धजनों की परिचर्या पोषण, शारीरिक कार्यकलाप, पुरानी बीमारियों (मधुमेह, उच्च रक्तचाप) के प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य (अवसाद, मनोभ्रंश), कार्यात्मक स्वतंत्रता (गतिशीलता सहायता, फिजियोथेरेपी), पारिवारिक शिक्षा और उच्चतर स्वास्थ्य परिचर्या से जुड़ाव पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य आशा नर्सों, सहायक नर्स दाई (एएनएम) और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) द्वारा घर और समुदाय-आधारित समग्र सहायता के माध्यम से सुलभ परिचर्याओं के साथ एक स्वस्थ वृद्धावस्था वातावरण को बढ़ावा देना है। वृद्धजनों की परिचर्या के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण वृद्ध-अनुकूल सेवाएं प्रदान करना और स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण करना है, जो स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के वितरण में सहानुभूतिपूर्ण परिचर्या के प्रति अंतर्निहित प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में वृद्धजनों की परिचर्या का उद्देश्य समुदाय में वृद्धजनों को भावनात्मक रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना है, साथ ही स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की सुलभता और सामर्थ्य में सुधार करना है।

अनुबंध

कार्यशील आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दिनांक 30.11.25 तक कार्यशील एएएम
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	129
2	आंध्र प्रदेश	11,871
3	अरुणाचल प्रदेश	511
4	असम	4,961
5	बिहार	11,426
6	चंडीगढ़	60
7	छत्तीसगढ़	5,898
8	दिल्ली	221
9	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	95
10	गोवा	306
11	गुजरात	10,698
12	हरियाणा	3,267
13	हिमाचल प्रदेश	2,748
14	जम्मू और कश्मीर	3,168
15	झारखंड	4,154
16	कर्नाटक	10,124
17	केरल	7,169
18	लद्दाख	321
19	लक्षद्वीप	13
20	मध्य प्रदेश	12,655
21	महाराष्ट्र	12,846
22	मणिपुर	420
23	मेघालय	621
24	मिजोरम	412
25	नागालैंड	485
26	ओडिशा	7,373
27	पुदुचेरी	130
28	पंजाब	3,311
29	राजस्थान	12,524
30	सिक्किम	184
31	तमिलनाडु	8,496
32	तेलंगाना	5,051
33	त्रिपुरा	1,131
34	उत्तर प्रदेश	23,286
35	उत्तराखंड	2,355
36	पश्चिम बंगाल	13,453
